अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 3.9.21

श्री अमित चौधरी
कनिष्ठ विधि अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.07.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा आपका स्थानान्तरण कनिष्ठ विधि अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरूद्ध किया गया, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

3/9/2021
(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

अत्यावश्यक/
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2021 जयपुर, दिनांक 3.9.21

श्री हंसराज खटीक
वरिष्ठ विधि अधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः–राजकीय आदेशों की अवहेलना के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भः– इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 30.07.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा आपका स्थानान्तरण वरिष्ठ विधि अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर में वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरूद्ध किया गया, जबकि इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार उक्त आदेश की पालना 7 दिवस में की जानी थी। आप द्वारा राजकीय आदेशों की अवहेलना की गई है, इसे राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया गया है, क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जाए।

अतः आप अविलम्ब कार्यग्रहण करते हुए अपना स्पष्टीकरण 7 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। यदि आपके द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आप उपरोक्त तथ्यों से सहमत है व नियमानुसार आपके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

3/9/2021
(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव